प्रेस नोट

सराहनीय कार्य कानपुर देहात **दिनांक- 07.08.2026**

- **थाना भोगनीपुर पुलिस टीम द्वारा छिनैती की घटना कारित करने वाले तथा पुलिस मुठभेड़ के दौरान फरार पुरस्कार घोषित इनामिया (₹ 20,000/-) 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार ।**
- **अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध देशी तमंचा 12 बोर व 02 जिन्दा कारतूस 12 बोर तथा छिनैती का सामान बेचकर प्राप्त कुल 32,000/- रुपये नकद बरामद ।**

कृपया अवगत कराना है कि जनपद कानपुर देहात में आपराधिक घटनाओं की रोकथाम व खुलासे हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में वादी द्वारा दी गयी लिखित तहरीर के आधार पर दिनांक 18.07.2026 को थाना भोगनीपुर क्षेत्र के ग्राम हांसेमऊ में दंपत्ति के साथ हुई लूट की घटना के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 242/26 धारा 304(1) बीएनएस पंजीकृत किया गया था । जिसमें भोगनीपुर पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए दिनांक 29.07.2026 को मुखबिर खास की सूचना पर 01 अभियुक्त को पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया था तथा दूसरा अभियुक्त सचिन पुत्र रामनाथ निवासी ग्राम रनियां डेरा थाना भोगनीपुर कानपुर देहात उम्र करीब 25 वर्ष भौगोलिक स्थिति व रात के अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गया था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक महोदया द्वारा 20,000 रुपये का पुरस्कार भी घोषित किया गया। आज दिनांक 07.08.2026 को थाना भोगनीपुर पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर खास से प्राप्त सूचना के आधार पर पुरस्कार घोषित वाँछित अभियुक्त सचिन पुत्र रामनाथ उपरोक्त को गिरफ्तार किया गया, जिसकी जामा तलाशी से 01 अवैध देशी तमंचा 12 बोर, 02 जिंदा कारतूस 12 बोर तथा 32000/-रुपये नकद बरामद हुए ।

अभियुक्त की गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना भोगनीपुर पर मु0अ0सं0 267/2026 धारा 3/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत किया गया है तथा मु0अ0सं0 242/2026 धारा 304(ए) बीएनएस थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात में धारा 317(2) बीएनएस की बढोत्तरी की गयी एवं दिनांक 29.07.2026 को जान से मारने की नीयत से पुलिस पर फायरिंग करने के सम्बन्ध में पंजीकृत मु0अ0सं0 257/2026 धारा 109(1)/317(2) बीएनएस में विधिक कार्यवाही करते हुए गिरफ्तारशुदा अभियुक्त को नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया ।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त का नाम व पता-

सचिन पुत्र रामनाथ निवासी ग्राम रनियां डेरा थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात उम्र करीब 25 वर्ष

पूछताछ- अभियुक्त ने पूछने पर बताया कि ग्राम हांसेमऊ के सामने हाइवे पर मैंने व रितिक उर्फ चिप्पा (पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार) ने बाइक सवार दम्पत्ति से पर्स छीना था जिसमें निकली झुमकी को बेचने से मिले पैसे में से 12,000 रुपये मेरे पास बचे थे तथा मैंने व रितिक उर्फ चिप्पा ने कालपी बाजार में एक महिला के गले से एक सोने की चेन खींची थी उसे बेचा था जिसमें से आधे रुपये मैंने रितिक उर्फ चिप्पा को दे दिये थे एवं आधे रुपये मेरे पास थे, जिसमें से 20000/- रुपये बचे हैं, जो मेरे पास से बरामद हुए हैं। दिनांक 28/29.07.2026 की रात्रि में पुलिस पार्टी पर फायरिंग करने का कारण पूछने पर बताया कि मैं और मेरा साथी रितिक उर्फ चिप्पा पुलिस के द्वारा घेर लिये गये थे इसलिए गिरफ्तारी से बचने के लिये हम लोगों ने पुलिस पर फायरिंग की थी, उस दिन मेरा साथी रितिक उर्फ चिप्पा को पुलिस ने पकड़ लिया था और मैं भाग गया था।

बरामदगी-

01 अवैध देशी तमंचा 12 बोर, 02 जिन्दा कारतूस 12 बोर तथा छिनैती का सामान बेचकर प्राप्त कुल 32,000/-रुपये नकद।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 259/2024 धारा 303(2), 317(2), 318(4), 319(2) बीएनएस0 थाना गदागंज, जनपद रायबरेली।
2. मु0अ0सं0 79/2024 धारा 120-बी, 363, 366 भादवि0, थाना भोगनीपुर, जनपद कानपुर देहात।
3. मु0अ0सं0 242/2026 धारा 304(1) बीएनएस0 थाना भोगनीपुर, जनपद कानपुर देहात।
4. मु0अ0सं0 257/2026 धारा 3/25/27 आयुध अधिनियम तथा 109(1), 317(2) बीएनएस0 थाना भोगनीपुर, जनपद कानपुर देहात।
5. मु0अ0सं0 267/2026 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात।

गिरफ्तार करने वाली थाना भोगनीपुर पुलिस टीम-

1. उ0नि0 अतेन्द्र कुमार चौकी प्रभारी देवीपुर,
2. हे0का0 608 राजीव कुमार,
3. हे0का0 257 गजेन्द्र प्रताप सिंह,
4. आरक्षी 1098 अमित कुमार